राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(1)ग्राविवि/आईएवाई/विविध/ग्रुप–5/2015–16 दिनांक 20 जुलाई, 2015

–:: बैठक कार्यवाही विवरण ::–

प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 02.07.2015 को समिति कक्ष, ग्रामीण विकास में सायं: 4:30 बजे इन्दिरा आवास योजना के पात्र लाभार्थियों, जिनके पास आवास हेतु भूमि नहीं है अथवा लाभार्थियों द्वारा राजकीय या ग्राम पंचायत की भूमि पर आवास निर्माण कर लिए गये है के कारण अधूरे पड़े है एवं लाभार्थियों की मृत्यु हो जाने के कारण विधिक वारिस के अभाव में अधूरे पड़े हैं के क्रम में नीति बनाने हेतु बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित थे :–

1. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
2. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव (विधि), पंचायती राज विभाग।
4. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास विभाग।

बैठक में विचार विमर्श उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिए गये :–

1. इन्दिरा आवास योजना की स्थाई प्रतीक्षा सूची में शामील पात्र लाभार्थी जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं है को भूमि उपलब्ध कराने एवं ऐसे लाभार्थी जिन्होंने ग्राम पंचायत या राजकीय भूमि पर आवास निर्माण कर लिया है को उसी भूमि को नियमानुसार आवंटन हेतु सभी जिला कलक्टरों को शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पत्र लिखा जावें।
2. आवास योजना के लाभार्थी की मृत्यु उपरान्त विधिक वारिस के रूप में उसके परिजन को उत्तराधिकारी नामित करने की शक्तियॉ ग्राम पंचायत को दिये जाने के कम में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज को निर्देश दिये गये। पूर्व में भी कृषि भूमि के नामन्तरण/डिविजन व वारिस हेतु ग्राम पंचायत को अधिकृत किया हुआ हैं।
3. भूमि की अनुपलब्धता की दशा में भूमि अधिग्रहीत/कय करने के कम में जिला कलेक्टरों द्वारा बिन्दु सख्या 1 पर कार्यवाही करने के उपरान्त विचार करने का निर्णय लिया गया।
4. नगरीय सीमा मे शामिल ग्राम पंचायतो के कम भी बिन्दु सख्यां 1 के अनुसार सम्बंधित जिला कलेक्टरों को शासन सचिव एव आयुक्त एवं पंचायती राज द्वारा पत्र लिखे जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक आसन को धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

– Sd/-
(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
4. संयुक्त शासन सचिव (विधि), पंचायती राज विभाग।
5. अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण विकास विभाग।
6. PD(M&D) की website पर अपलोड करवाने हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)